उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
( भारत सरकार का एक विधिक संस्थान )

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No. NRC/NCTE/ UP-2378/2015/ 111684-988 Dated: 16 JUN 2015

## Corrigendum

Annual intake of 200 Students for four basic units mentioned in the Para No. 4 & 5 of the revised recognition order No. F. . No./NRC/NCTE/UP-2378/2015/109235-40 dated 31.05.2015 issued to **Harlal Institute of Management & Technology, 8, Institutional Area, Knowledge Park-I, Greater Noida-201306, State – Uttar Pradesh for B.Ed. Course** be read as **annual intake of 100 Students for two basic units.**

**Other contents of the order shall remain unchanged.**

16/6/15

**(Dr. S.K. Chauhan)**
**Regional Director**

The Manger to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110 054

**Copy to:**

1. The Principal, **Harlal Institute of Management & Technology, 8, Institutional Area, Knowledge Park-I, Greater Noida-201306, State – Uttar Pradesh.**
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
3. The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
4. The Registrar, Choudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200005, Uttar Pradesh.
5. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
6. Office order file/ Institution file.

**Regional Director**

Harlal Institute of Management & Technology
HIMT
Gr. Noida

कार्यालय : चौथी मंजिल जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail. : nrc@ncte-india.org. Website : www.ncte-india.org

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
( भारत सरकार का एक विधिक संस्थान )

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F. No./NRC/NCTE/UP-2378/2015 | 109235 | 13 MAY 2015

**TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4**

**ORDER**

**WHEREAS**, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. **AND WHEREAS,** the recognition was granted by NRC to **Harlal Institute of Management & Technology, 8, Institutional Area, Knowledge Park-I, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh** for B.Ed. (Add.) Course vide order no. NRC/NCTE/F-7/UP-2378/2008/40133-40139 dated 29.02.2008 with an annual additional intake of 100 seats (Existing 100 + additional 100 = 200).

3. **AND WHEREAS,** the said institution has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for four basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. **AND WHEREAS,** it has been decided to permit the institution to have four basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

(i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.

(ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.

(iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. **If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.**

(iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

Harlal Institute of Management & Technology
HIMT

4. **Now therefore,** in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to **Harlal Institute of Management & Technology, 8, Institutional Area, Knowledge Park-I, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh** for conducting B.Ed. programme of **two years duration** with an **annual intake of 200 for four basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016** subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

6. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

# चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
## Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/492
दिनांक : ~~अप्रैल~~, 2008
19/5/08

सचिव,
हरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी,
8, इन्स्टीटयूशनल एरिया, नोलेज पार्क–I
ग्रेटर नोएडा

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब0–65/सत्तर–2–2008–2 (551)/2007, दिनांक 27.03.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **हरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **हरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। "

भवदीय,

कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :–
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. डा0 आई0आर0एस0 सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

P.NIT AFFIL 2 (128)

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/64

दिनांक:- 05.04.2003

सचिव,
हावर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट,
नोएडा।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 309/जी0एस0 दिनांक 31.03.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन हावर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट, नोएडा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्ता को सुनिश्चित करेगी एंव परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत परिनियमों में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो तथा मानको के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था का निरीक्षण अगले सत्र में कराया जायेगा तथा विश्ववद्यिालय द्वारा यह निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र सहित महामहिम कुलाधिपति के अवलोकनार्थ/निस्तारणार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो तथा मनाको की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ,1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(4) एंव धारा 37(5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
5. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस,शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश: संख्या: 1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एंव अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-2003 से उपरोक्त शर्तो के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे , जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेपित।

कुलसचिव